न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 11/2010

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
जगरूपाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी सवाउ पदमसिंह तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह 2. धनीदेवी पत्नी गोरधन राम जाति जाट निवासी सवाउ पदमसिंह तहसील बायतु व जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 02 दिनांक 06.10.2004 जो ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 धनीदेवी के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः— 1. श्री श्रवण कुमार चौधरी व श्री सम्पतराज बोथरा प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी विप्राथी संख्या 02 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 27.3.2018

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 06.10.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 धनीदेवी को दिनांक 6.10.2004 को प्रार्थी जगरूपाराम के प्लॉट के दक्षिण पश्चिम की तरफ के भूखण्ड का पट्टा संख्या 02 जारी किया गया। जबकि इसी भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.5.1989 को डालूराम पुत्र कोजाराम के नाम जारी किया जा चुका है। विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.10.2004 जारी करने में नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 02 को निजी लाभ पहुंचाये जाने के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उद्देश्य से पूर्व में जारी किये गये पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया गया।

4. विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया गया कि निगरानीकर्ता ने पूर्व में पट्टा संख्या 74 जो डालूराम को जारी होना बताया है, इस पट्टे में अंकित नाप व पडौस मौके पर नहीं होने एवं पट्टे पर ग्राम सेवक एवं सरपचं के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण पट्टा पंचायत नियमो के विरूद्व होने एवं फर्जी होने से काबिल निरस्त है। इस संबंध में विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर के न्यायालय में नियमित सिविल वाद बाबत कब्जा प्राप्त करने व निषेधाज्ञा जारी करने हेतु दिनांक 23.7.2010 को पेश किया है, जो विचाराधीन है। निगरानीकर्ता ने यह निगरानी करीबन 6 वर्ष बाद देरी से पेश की गई है तथा देरी से पेश करने का कोई प्रर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी परिसीमा से बाहर होने से निरस्त करने योग्य है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर जाहिर किया गया कि ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की अनदेखी करते हुए तथा निगरानीकर्ता को बिना सुने ही पट्टा जारी किया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पालना किये बिना तत्कालीन सरपचं व धन्नीदेवी की मिलीभगत से दिनांक 6.10.2004 को पट्टा जारी किया गया, जबकि इसी भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा डालूराम को दिनांक 25.5.1989 को जारी किया गया था। ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा पट्टा संख्या 02 के संबंध में तैयार पत्रावली एवं आदेशिकाओ के अवलोकन से यह जाहिर होता हैं कि दिनांक 6.10.2004 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं हुई। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 02 धन्नी देवी द्वारा विक्रय विलेख देने हेतु दिनांक 6.8.2004 को आवेदन करना बताया परन्तु धन्नी देवी द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया है उस पर किसी प्रकार की दिनांक, महिना व वर्ष का अंकन नहीं है। मौका निरीक्षण हेतु मौका कमेटी का गठन नहीं किया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व एक माह की अवधि के भीतर आक्षेप/आपत्तियॉ आमंत्रित नहीं की गई। आदेशिका दिनांक 21.9.2004 में 200/– जमा करवाने के आदेश है, परन्तु धन्नीदेवी द्वारा यह राशि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नियत समय में जमा नहीं करा कर दिनांक 15.12..2004 को पट्टा जारी होने के ढाई माह बाद जमा करवाई गई है। ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा पंचायती राज नियमो के आज्ञाप्क प्रावधानो की पालना नहीं की गई, पट्टा जारी करने हेतु मौका कमेटी का गठन नहीं किया गया, नियत समय पर आपत्तियॉ आमंत्रित नहीं की गई, पट्टा जारी करने के बाद राशि जमा करवाई गई तथा दिनांक 6.10.2004 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इन समस्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.10.2004 निरस्त किये जाने योग्य है।

6. विप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि विप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक पुराना मकान ग्राम सवाउ पदमसिंह की आबादी भूमि में उत्तरी भुजा 45 फीट, दक्षिणी भुजा 22 फीट, पूर्वी भुजा 39 फीट एवं पश्चिमी भुजा 65 फीट तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भुजा के मध्य की भुजा 26 फीट कुल 2630 वर्गफीट का आया हुआ है। इस भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 02 के पति गोरधनराम का पीढ़ियो से कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 का पुराना कब्जा मानते हुए अपने प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.12.2004 के तहत पट्टा संख्या 02 दिनांक 2.4.2005 को निष्पादित किया गया है। उक्त पट्टे के सबसे उपर दिनांक 2.4.2005 सही लिखी हुई है व पट्टे मे प्रस्ताव संख्या 05 भी सही लिखा गया है परन्तु जारी करने की दिनांक 21.12.2004 की जगह 6.10.2004 लिखी हुई है। विप्रार्थी संख्या 2 धन्नी देवी ने ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह के समक्ष उक्त नाप के भूखण्ड का पट्टा अपने नाम से जारी करवाने हेतु दिनांक 6.8.2004 को आवेदन मय नक्शा व पड़ौस के पेश किये, जिस पर रसीद संख्या 25 दिनांक 6.8.2005 के जरिये रूपये 50/– जमा करवाये गये। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 के मार्फत पत्रावली कायम कर मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसका उल्लेख पंचायत की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 6.8. 2004 में किया गया है। दिनांक 21.8.2004 को मौका कमेटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 का भूखण्ड पर पुराना कब्जा होने के कारण मौका प्रतिवेदन पेश किया जिस पर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 पारित किया गया एवं मौका रिपोर्ट आने के बाद एक माह के अन्दर आपत्तियॉ पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया, जिसका उल्लेख पंचायत की

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेशिका दिनांक 21.8.2004 में है। इस संबंध में दिनांक 21.9.2004 तक कोई आपर्ति पेश नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 के मार्फत विप्रार्थी संख्या 02 के नाम अस्थाई तौर पर विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया जाकर राशि रूपये 200/– जमा कराने के निर्देश दिये। उक्त पट्टा राजस्थान पचांयती राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया जिसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 21.9.2004 में किया गया है। दिनांक 15.12.2004 को विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राशि रूपये 200/– रसीद संख्या 39 के माध्यम से पंचायत खाते में जमा करवाई गई। राशि जमा होने के बाद प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.12.2004 को स्थाई विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया। जिसकी पालना में पंचायत द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 02 दिनांक 2.4.2005 को जारी किया गया है जो सही है जिसे जारी करने में ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष मे जारी पट्टे की भूमि पर बने मकान का दिनांक 15.5.2010 को प्रार्थी जगरूपाराम एवं उसके पुत्रो द्वारा ताला तोड़ कर अवैध रूपसे घुसने के संबंध में इनके विरूद्व फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके अतिरिक्त विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में एक सिविल वाद बाबत मकान का कब्जा प्राप्त करने व निषेधाज्ञा जारी करने हेतु दिनांक 23.7.2010 को पेश किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त सिविल वाद दिनांक 23.7.2010 को पेश किया गया जबकि यह निगरानी प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 02 के उक्त मकान को दबाने के लिए दिनांक 29.7.2010 को लिखवाई एवं दिनांक 1.8.2010 को माननीय न्यायालय में पेश की गई, जो दिनांक 3.8.2010 को दर्ज हुई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3.7.2013 को तलब की गई मौका रिपोर्ट में विप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा बताया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 02 दिनांक 2.4.2005 को जारी किया गया जबकि निगरानी करीब 06 वर्ष बाद दिनांक 29.7.2010 को मनगडंत एवं झूठे तथ्यो के आधार पर असाधारण देरी से पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा युक्तियुक्त समय में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत 3 वर्षो के अन्दर निगरानी पेश नहीं करने के फलस्वरूप निगरानी परिसीमा से बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है। लिखित बहस के समर्थन में आरजेटी 2016(1) रेनूदेवी बनाम राजस्थान

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राज्य पेज 99, एवं 2009 (3) डीएनजे (एससी) 1094, 2012(2)डीएनजे(राज.) 602 कानूनी दृष्टांत पेश किये।

7. हमने उभय पक्ष को सुना एवं उनके द्वारा पेश लिखित बहस का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह से प्राप्त मूल पट्टा एवं मिसल मय कार्यवाही विवरण आदेशिकाओं का अवलोकन किया। बैठक कार्यवाही रजिस्टर पेश नहीं किया गया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थीनी संख्या 02 धन्नीदेवी के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत हमारे समक्ष पेश की है। प्रार्थी का यह कथन हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 की पालना नहीं की गई तथा जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि एवं भवन का पट्टा डालूराम को दिनांक 25.5.1989 को जारी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम जिसमें आबादी भूमि के हस्तांतरण के नियम दिए हुए है, का अवलोकन किया। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय करना चाहता है अथवा पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के रूपये 25/– जमा कराने चाहिये। हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा 50/– रूपये जरिये रसीद संख्या 25 दिनांक 6.8.2004 जमा करवाये गये। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति का गठन कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में अंकित बिन्दुओ पर अपनी रिपोर्ट देगी। मौका रिपोर्ट पर सरपचं ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह व समिति सदस्यो के हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट में प्लॉट पर एक कच्चा ओरा लगभग 25 वर्ष पुराना बना हुआ होना, प्लॉट के चारो ओर कच्ची पुरानी बाड़ बनी हुई होना एवं प्लॉट पर स्थाई निवासी होना बताया है। यह पट्टा ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा नियम 157 (ख) के तहत जारी करना बताया है, इस नियम के तहत इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान् बने पुराने मकानों हेतु पट्टे जारी करने का प्रावधान है, मौका प्रतिवेदन अनुसार विप्रार्थी संख्या 02 का इस भूखण्ड पर 25 वर्षो से पुराना कब्जा है। जारी किये गये पट्टे में पट्टा संकल्प संख्या 5 दिनांक 6.10.2004 की पालना में जारी करना लिखा है। पंचायत द्वारा संधारित मिसल की आदेशिका में तारीख 21.12.2004 में राशि रूपये 200 जरिये रसीद संख्या 39

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दिनांक 15.12.2004 से जमा होने पर प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार विक्रय विलेख प्रार्थी के पक्ष में जारी करने का उल्लेख है। पंचायत की मिसल की आदेशिका में दिनांक 21.12.2004 में यह उल्लेख किया गया हैं कि दिनांक 15.12.2004 को राशि रूपये 200 पंचायत में जमा करवाये गये है। मामले में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार बायतु से मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार दोनो पक्षों द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपने–अपने मकान निर्मित करवाये गये है एवं विवादग्रस्त भूमि अपनी पट्टासुद एवं कब्जासुद होना बताया है। इस प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में दोनो पक्षो द्वारा परस्पर विरोधी दावे प्रकट किये जा रहे है। विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा डालूराम को दिनांक 25.5.1989 को जारी किया जाना बताया है, जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा कोई सबूत अथवा साक्ष्य पेश नहीं किये गये तथा ग्राम पंचायत के पास वर्ष 2004 से पूर्व के जारी पट्टो से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। डालूराम को जारी किए गए पट्टा का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से डालूराम के पट्टे की सत्यता, क्षैत्रफल वगैरहा का विश्लेषण किया जाना संभव नहीं है। धनी देवी को ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है, जिसके खारिज करने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने पट्टे की सत्यता व धनीदेवी के पट्टे के फर्जी होने सम्बन्धी कोई ठोस प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस प्रकार निगरानी बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत की गई है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर सरपचं ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह द्वारा विप्रार्थीनी संख्या 02 धनीदेवी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 02 दिनांक 6.10.2004 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)